भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3822

17 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: पान के पत्तों की खेती

3822. श्री विवेक नारायण शेजवलकरः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पान के पत्तों की खेती देश के 13 राज्यों में की जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश के भितरवार, ग्वालियर और मालवा क्षेत्र के संदलपुर, आंत्री और चीनोर गांव शामिल हैं और अत्यधिक गर्मी, ठंड और बारिश के कारण फसल नष्ट हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्वालियर में पान के पत्तों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई क्योंकि हाल ही में वहां का तापमान 2.2 सेल्सियस तक गिर गया था;

(ग) क्या किसानों के पास अगली फसल के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं क्योंकि उन्हें दिया जाने वाला मुआवजा बेहद कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पान के पत्तों की खेती फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फसल बीमा योजना के तहत पान के पत्तों की खेती को शामिल करने का है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) :मध्य प्रदेश के भितरवार, ग्वालियर और मालवा क्षेत्र के संदलपुर, आंत्री और चीनोर गांव सहित देश के विभिन्न राज्यों में पान के पत्तों की खेती व्यापक रूप से की जाती है तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से पान के पत्तों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(ख) एवं (ग): मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) एवं (ड़): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से हुए फसल नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई और डब्ल्यूबीसीआईएस के तहत फसलों और क्षेत्र को अधिसूचित किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पान को फसल बीमा के तहत कवर नहीं किया जाता है।

*****